उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Transmission Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

CIN:U40101UP2004SGC028687	GSTIN: 09AAACU8823E1Z9

कारपोरेट टैक्स (जी0एस0टी0 सेल) Corporate Tax (GST Cell)

कक्ष संख्या–320,तृतीय तल, शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001, ई–मेल - dgmtaxuppcl@gmail.com
Room No.– 320 IIIrd Floor, Shakti Bhawan, 14-Ashok Marg, Lucknow-226001, RAX – 8320,

दिनांक 31 /3 /2022

दिशा–निर्देश सं0: /का0टैक्स एवं जी0एस0टी0 सेल/2022 **ई–मेल द्वारा**

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी
उ0 प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।

मुख्य अभियन्ता (डी0 एण्ड पी0)/765 केवी/सी0 एण्ड सी0/सी0एम0यू0टी0 जानपद (i)/(ii)/पारेषण मध्य/पश्चिम/दक्षिण–पूर्व/उत्तर–पूर्व/दक्षिण–पश्चिम/दक्षिण–मध्य उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 लखनऊ/मेरठ/प्रयागराज/गोरखपुर/आगरा/झांसी।

विषय:– **डिपॉजिट आधार पर किये जाने वाले कार्यों पर जी0एस0टी0 के सम्बन्ध में।**

कृपया पूर्व में निर्गत दिशा–निर्देश सं0 08(A)/का0 टैक्स एवं जी0एस0टी0 सेल/2020 दिनांक 30.09.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से निर्देशित किया गया था कि उपभोक्ता द्वारा विद्युत निगमों को सिर्फ सुपरविजन चार्जेस का भुगतान कर विद्युत संरचना का निर्माण/संशोधन/स्थानान्तरण का कार्य का उपभोक्ता द्वारा स्वयं कराये जाने पर जी0एस0टी0 पूर्ण प्राक्कलन की राशि (उपभोक्ता द्वारा स्वयं कराये गये कार्य को जोड़कर) पर भारित किया जायेगा।

वर्तमान में उक्त प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित है किन्तु NHAI द्वारा कथित प्रकरण पर एडवांस रूलिंग याचिका दाखिल की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में Advance Ruling Authority, GST, U.P. द्वारा दिनांक 08.12.2022 को आदेश पारित किया गया है जिसके अनुसार विद्युत निगमों द्वारा केवल पर्यवेक्षण शुक्ल पर जी0एस0टी0 लगाया जाना चाहिए।

जी0एस0टी0 अधिनियम की धारा 103 के अनुसार Advance Ruling Authority द्वारा पारित आदेश सिर्फ आवेदक के ऊपर ही लागू होता है एवं आवेदक उस आदेश का अनुपालन करने के लिये बाध्य होता है। आवेदक के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति उस आदेश के अनुपालन हेतु बाध्य नही है। NHAI पर जी0एस0टी0 की देयता के सम्बन्ध में आ रही कठिनाईयों के दृष्टिगत जब तक माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय नही आ जाता तब तक NHAI को यह विकल्प दिया जाये कि वे सिर्फ सुपरविजन चार्ज एवं उस पर जी0एस0टी0 का भुगतान निगम को करे एवं उचित मूल्य के स्टैम्प पेपर पर Indeminity Bond (प्रारूप संलग्न) जमा करें कि "माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित प्रकरण में यदि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित किया जाता है कि उपभोक्ता द्वारा विद्युत निगम के पर्यवेक्षण में स्वयं विद्युत संरचना का निर्माण/संशोधन/स्थानान्तरण कराने पर भी पूर्ण प्राक्कलन की राशि पर जी0एस0टी0 देय होगा अथवा जी0एस0टी0 विभाग द्वारा पूर्ण प्राक्कलन पर जी0एस0टी0 की माँग किये जाने पर NHAI द्वारा पूर्ण प्राक्कलन की राशि पर जी0एस0टी0 लागू ब्याज/पेनाल्टी सहित का भुगतान 1 माह के भीतर निगम को क्रिया जायेगा।"

उक्त विकल्प केवल NHAI के लिए लागू होगा तद्नुसार जी0एस0टी0 केवल पर्यवेक्षण शुल्क पर ही लगाया जायेगा।

संलग्नक:– **यथोपरोक्त।**

(निधि कुमार नारंग)
निदेशक (वित्त)

दिशा–निर्देश सं0: 30 /का0टैक्स एवं जी0एस0टी0 सेल/2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ के निजी सचिव।
2. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)/वित्त/आपरेशन/कार्य एवं परि0/एस0एल0डी0सी/वाणिज्य एवं नियोजन उ0 प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन/गोमती नगर, लखनऊ के निजी सचिव।
3. उप महाप्रबन्धक (लेखा), परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, पारेषण मध्य/पश्चिम/दक्षिण–पूर्व/उत्तर–पूर्व/दक्षिण–पश्चिम/दक्षिण मध्य, लखनऊ/मेरठ/प्रयागराज/गोरखपुर/आगरा/झांसी।
4. लेखाधिकारी (निधि) I/II, उ0 प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
5. अधिशासी अभियन्ता, सम्बद्ध निदेशक (ऑपरेशन), उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, 11वां तल शक्ति भवन विस्तार, को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

20/3

(निधि कुमार नारंग)
निदेशक (वित्त)

(On Rs. 100 Stamp Paper)

INDEMNITY BOND

This indemnity bond ("Bond") is executed on [date] by National Highways Authority of India ("NHAI") in favour of Uttar Pradesh Power Corporation Limited/Distribution Company/Power Transmission Corporation Limited ("UPPCL/DISCOM/UPPTCL") to indemnify and hold harmless the UPPCL/DISCOM/UPPTCL against any loss, liability, cost or expense arising from or related to the following terms and conditions:

1. GST on Supervision Charges: The NHAI acknowledges that GST is applicable on Deposit Work services provide by UPPCL/DISCOMS/UPPTCL as per the GST law and regulations. However, there is a pending case in the Hon'ble High Court of Allahabad regarding the applicability of GST on supervision charges. Pending the case of the High Court, the NHAI agrees to pay GST on supervision charges at the applicable rate.
2. Indemnification of GST and Interest: The NHAI further acknowledges that a similar matter is already pending before the Hon'ble High Court of Allahabad. If the decision of the Hon'ble High Court is adverse or for any other reason the GST department demands GST on value other than supervision charges, the NHAI agrees to indemnify and hold harmless the UPPCL/DISCOM/UPPTCL against any loss, liability, cost or expense, including but not limited to the entire amount of GST along with interest/penalty, that may arise from such demand. The NHAI agrees to make the payment within 30 days from the date of demand.
3. Interest on Delayed Payment: If the NHAI fails to indemnify the UPPCL/DISCOM /UPPTCL within 30 days from the date of demand, the NHAI shall be liable to pay interest at the applicable rate on the outstanding amount until the date of payment.
4. Governing Law and Jurisdiction: This Bond shall be governed by and construed in accordance with the laws of India. Any dispute arising out of or in connection with this Bond shall be subject to the exclusive jurisdiction of the courts of Lucknow Bench of Hon'ble High Court of Allahabad.
5. Counterparts: This Bond may be executed in any number of counterparts, each of which shall be deemed an original, but all of which together shall constitute one and the same instrument.

IN WITNESS WHEREOF, the NHAI has executed this Bond as of the date first above written.

[Signature of the Authorised Representative of NHAI]

Name:

Designation: